एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 27)

[23 अगस्त, 2017]

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का
जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह 8 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का विस्तार और संशोधन—(1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके उधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं और किए गए आदेशों को, जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित किया जाता है और वे उस राज्य में प्रवृत्त होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. निरसन और व्यावृत्ति—(1) एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं० 4) को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।